20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निरोपित

25

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र. निग/1233-PBR-16/2016

श्री विनोद भार्गव अधि० द्वारा आज दि. 22-1-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 22.1.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

डॉ. कर्नल रविन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री डालसिंह भदौरिया, आयु 74 वर्ष, व्यवसाय सेवानिवृत्त कर्नल आरमी, निवासी विजय नगर आमखो लश्कर ग्वालियर म.प्र.

—आवेदक

विरूद्ध

राजकुमार कुकरेजा पुत्र स्व. श्री एल.सी. कुकरेजा, निवासी डी–14 गोविन्द पुरी सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र)

अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्र. 5/2013–14/अ–70 में की जा रही कार्यवाही आदेश पत्रिका दिनांक 18/01/2016 एंव 20/01/2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 233–पीबीआर/16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–2016	आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय के जिन आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, उन आदेशों में ऐसा कोई बिन्दु नहीं है, जिन पर इस निगरानी पर विचार किया जा सके । इसके अतिरिक्त यह निगरानी तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, और प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है, जिसकी अपील भी लम्बित है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया सारहीन एवं निरर्थक होने से निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	